भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 585
दिनांक 04 फरवरी, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पताल

585. श्री नलीन कुमार कटील:
श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:
श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:
श्री जयंत सिन्हा:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): देश में एबी-पीएमजेएवाई के तहत पैनलबद्ध वर्तमान और प्रस्तावित सरकारी/निजी अस्पतालों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार/जिला-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख): जनवरी, 2020 से अब तक उक्त योजना के तहत उपचार का लाभ उठाने वाले लोगों की विशेषकर झारखंड में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, जिले-वार संख्या कितनी है;
(ग): क्या सरकार को इस योजना को और अधिक जन हितैषी बनाने के लिए जनता या राज्य सरकारों से कोई सुझाव/शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ): इस संबंध में सरकार द्वारा क्या आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का विचार है;
(ड.): एबी-पीएमजेएवाई के तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निर्धारित और प्राप्त किये गए लक्ष्य क्या हैं;
(च): क्या इस योजना के तहत लाभार्थियों को पैनलबद्ध अस्पतालों में कागज रहित और नकदरहित सेवाएं मिलती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ): देश में मध्य प्रदेश की खांडवा और खरगोन बड़वानी निर्वाचन क्षेत्रों सहित उक्त योजना के कार्यान्वयन के दौरान सरकार के समक्ष आई सीमाओं और बाधाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (छ): दिनांक 31 जनवरी, 2022 की स्थिति के अनुसार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 24,832 अस्पताल पैनलबद्ध किए गए हैं। अस्पतालों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है। अस्पतालों की राज्य और जिला-वार सूची **अनुलग्नक-II** के रूप

में निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://nha.gov.in/img/pmjay-files/Annexures-Annexure-II-and-III-to-Lok-Sabha-Question-No-585-04th-February-2022.pdf

जनवरी, 2020 से स्कीम के तहत कुल 2.05 करोड़ अस्पताल भर्तियां अधिकृत की गई। इनका राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में है। अस्पतालों की राज्य और जिला-वार सूची **अनुलग्नक-III** के रूप में निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://nha.gov.in/img/pmjay-files/Annexures-Annexure-II-and-III-to-Lok-Sabha-Question-No-585-04th-February-2022.pdf

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने इस स्कीम को लोगों के लिए और अधिक लाभकारी बनाने हेतु महत्वपूर्ण फीडबैक कार्यतंत्र के रूप में कार्य करने के लिए देश भर में संयुक्त समीक्षा मिशन(जेआरएम) स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं।

कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी पात्र लाभार्थी स्कीम शुरू होने के पहले दिन से ही स्कीम के तहत लाभ लेने के पात्र होते हैं।

स्कीम के तहत, सभी अस्पताल लेन-देन पूर्णत: नगद रहित और दस्तावेज रहित हैं। 31 जनवरी, 2022 तक, 25,000 से अधिक पैनलबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क में स्कीम लाभार्थियों के लिए लगभग 31,238 करोड़ रूपए की 2.77 करोड़ से अधिक अस्पताल भर्तियां की गई।

एनएचए, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) के साथ जमीनी स्तर पर स्कीम का और अधिक प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एसएचए और जिला कार्यान्वयन इकाइयों की क्षमताओं के संवर्धन और पैनलबद्ध अस्पतालों के दावों के समय पर निपटान, स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाता नेटवर्क के विस्तार, लाभार्थियों के बीच जागरूकता में सुधार हेतु कार्य कर रहा है।

अनुलग्नक – I

एबी-पीएमजेएवाई के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों की सूची और अधिकृत अस्पताल- भर्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निजी	सार्वजनिक	अधिकृत अस्पताल भर्तियों की संख्या (जनवरी, 2020-जनवरी 2022)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		3	1,122
2.	आंध्र प्रदेश	564	769	7,11,108
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	50	322
4.	असम	169	213	2,50,626
5.	बिहार	304	607	2,13,858
6.	चंडीगढ़	20	7	13,284
7.	छत्तीसगढ	497	1031	13,41,583
8.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव	0	7	44,487
9.	गोवा	14	22	292
10.	गुजरात	640	1904	15,68,768
11.	हरियाणा	432	176	3,19,809
12.	हिमाचल प्रदेश	91	147	79,024
13.	जम्मू और कश्मीर	58	187	2,80,557
14.	झारखंड	549	274	6,57,101
15.	कर्नाटक	547	2900	17,86,230
16.	केरल	554	195	27,11,014
17.	लद्दाख		10	2,134

18.	लक्षद्वीप		6	36
19.	मध्य प्रदेश	517	471	10,25,624
20.	महाराष्ट्र	671	299	2,79,317
21.	मणिपुर	14	66	39,685
22.	मेघालय	18	164	2,75,067
23.	मिजोरम	5	89	34,316
24.	नगालैंड	14	85	15,080
25.	पुद्दुचेरी	16	12	12,864
26.	पंजाब	705	243	9,83,986
27.	राजस्थान	253	876	7,48,253
28.	सिक्किम	1	16	4,812
29.	तमिलनाडु	1641	1986	56,74,726
30.	तेलंगाना	259	174	2,39,162
31.	त्रिपुरा	2	141	79,781
32.	उत्तर प्रदेश	1791	1104	7,86,259
33.	उत्तराखंड	127	123	3,04,311

नोट:

1. दिल्ली और ओडिशा योजना का कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं।
2. पश्चिम बंगाल जनवरी, 2019 में योजना से बाहर हो गया है।

****